Result Mitra Daily Magazine

भारत में अंग–दान की स्थिति

➢ हालिया संदर्भ :

- CPI (M) नेता सीताराम येचुरी, जिनका 12 सितंबर को निधन हो गया, ने अपना शरीर AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) को दान कर दिया।
- हालांकि भारत में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत कम ही लोग ऐसा निर्णय लेते हैं।

➢ शव का उपयोग :

- शवदान में व्यक्ति किसी विशेष अंग के बजाय पूरा शरीर दान करता है, जिसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा मानव शरीर संरचना को बेहतर तरीके से समझने एवं सर्जरी का अभ्यास में मदद के लिए किया जाता है।
- वैसे सर्जरी प्रशिक्षण के लिए डमी (नकली) शरीरों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक शव से यथार्थवादी अनुभव प्राप्त होता है।

➢ दान प्रक्रिया :

- 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति शवदान करने के लिए पात्र है और अगर मृत्यु के समय उनका पंजीकरण शवदान के लिए नहीं हुआ है, तो मृत्यु के बाद उनके अभिभावक या नजदीकी रिश्तेदार शवदान कर सकते हैं।
- अंगदान के विपरीत शवदान के लिए कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है।
- सामान्यत: इसके लिए मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों के एनाटॉमी विभाग इसके (शव प्राप्ति) के लिए प्रभारी होते हैं।
- वैसे तो दीर्घकालीन बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति का शव भी दान योग्य होता है, लेकिन TB, सेप्सिस एवं एड्स आदि से मरने वाले लोगों के शव लेने से प्राधिकारी द्वारा मना किया जा सकता है।
- इसके अलावा जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से हुई हो और वे मेडिकल–लीगल केस के अधीन है, उनके शव लेने से भी मना किया जा सकता है।

➢ आवश्यकता VS पूर्ति :

- शव–जरूरत के संबंध में कोई समेकित डाटा नहीं है, लेकिन अक्सर इसके कमी की रिपोर्टिंग की जाती है।
- मौजूदा नियम के तहत, प्रत्येक स्नातक मेडिकल कॉलेजों में हर 10 छात्रों के प्रशिक्षण के लिए एक शव की जरूरत होती है।
- इन कमियों को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज राज्य एनाटॉमी एक्ट के तहत मजबूरन लावारिस लाशों का उपयोग करते हैं।
- इन अधिनियमों में प्रावधान है कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा 48 घंटे के भीतर या न्यूनतम व्यावहारिक देरी के साथ शव का दावा किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होने पर लाश को 'लावारिस' मान लिया जाता है।

Result Mitra TM

- 2020 के एक अध्ययन के अनुसार, पिछले 25 वर्षों में चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की संख्या में वृद्धि होने से शवों की जरूरत काफी बढ़ गई है, ऐसे में पारंपरिक रूप से लावारिस लाश ही संस्थाओं के लिए प्रमुख स्रोत रहे हैं।

➢ नैतिकता :

- लावारिस लाशें सामान्यत: गरीब या पिछड़े परिवारों से संबंधित लोगों के होते हैं, जो नैतिकता के मुद्दे को उजागर करता है।
- भारत के विपरीत अन्य कई देशों, विशेषकर विकसित देशों में लावारिस लाशों को स्वीकार करने के लिए सहमति अनिवार्य होता है।
- कुछ देशों में ऐसा वकील की मौजूदगी में होना अनिवार्य होता है।

➢ अंगदान :

- भारत में अंगदान जीवित या मृत व्यक्ति कोई भी कर सकता है जिसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। हालांकि उम्र से ज्यादा महत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति को दिया जाता है।
- दान–योग्य अंगों में यकृत, दिल, अग्नाशय, फेफड़े, आंख, छोटी आंत, कॉर्निया, त्वचा एवं हड्डी के ऊतक (Tissue) आदि है।
- जीवित व्यक्ति एक किडनी, यकृत का भाग एवं अग्नाशय का एक भाग ही दान कर सकता है, जबकि हृदय, फेफड़े, दोनों किडनी एवं पूर्ण अग्नाशय मृत या ब्रेन डेड (Braindead, ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति मृत के समान ही होता है) की स्थिति में ही दान कर सकता है।

➢ स्थिति की वास्तविकता :

Result Mitra

- भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगदाता पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इनमें से कई की मौत इंतजार करते-करते हो जाती है।
- भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 0.16 लोग अंग दान करते हैं, जबकि स्पेन, क्रोशिया एवं USA में ऐसा क्रमशः 36, 35 एवं 27 लोग करते हैं।
- प्रत्यारोपित किए जा सकने वाले अंगों में हृदय, फेफड़ा, किडनी, लीवर, अग्नाशय, कॉर्निया आदि है।

Note :- अंग प्रत्यारोपित किए जा सकने की कोई न्यूनतम आयु नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है।

➢ संबंधित कानूनी प्रावधान :

- अंग प्रत्यारोपण संबंधी प्रयोजनों को नियंत्रित करने एवं इस संबंध में होने वाले त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट, 1994 लाया गया।
- इस एक्ट में गैर रिश्तेदार (माता-पिता, सगे भाई–बहन एवं पति-पत्नी को छोड़कर) के लिए अंग प्रत्यारोपण को अवैध घोषित किया गया।
- 1999 में इसमें संशोधन कर चाचा–चाचा, मौसा–मौसी एवं फूफा–फूफी को तथा 2011 में भावनात्मक संबंध रखने वालों को अंग प्रत्यारोपण के लिए कानूनी दायरे में लाया गया।
- 2014 में अंग और ऊतक प्रत्यारोपण एक्ट लाया गया, जिसमें अंगदाता एवं प्राप्तकर्ता के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए।
- इसमें प्रावधान किया गया कि यदि अंग प्राप्तकर्ता विदेशी हो, तथा अंगदाता भारतीय हो तो बिना निकट रिश्तेदारों के सहमति के अंग प्रत्यारोपण गैर–कानूनी होगा।

Result Mitra TM